



**उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)**

वादा पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
37/22	53, 183 RTA	बकसा	दुर्गा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
छीतरलाल	बनाम	लटूर वगै.	
वकील :-	<b>आदेश पत्रक</b>	वकील :-	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
17/22	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 183 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 04-07-2022 को पेश हो।</p>	
17/22	<p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21.8.22 को पेश हो।</p> <p align="center">                       न्यायालय उपखण्ड अधिकारी                      छबड़ा (बारा), ...                 </p>	
21/8/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी कुल 1 व 8 के वाद तामील सम्मन प्राप्त। प्रतिवादी कुल 1, 3, 5, 6 वरु की ओर से श्री हेमराज कुशवाह एडवो. का बसालत नामी पेश हुआ जो शर्तिका किपी गया। प्रतिवादी कुल 2 वरु व 9 वरु सुप्री के अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एकतरफा तर्जुमों की जाती है। वास्तुतः नतीजा पत्रावली दिनांक 5/10/22 को पेश हो।</p>	
5/10/22	<p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 29.11.22 को पेश हो।</p> <p align="center">                       न्यायालय उपखण्ड अधिकारी                      छबड़ा (बारा), ...                 </p>	

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक	
17-12-24	<p>पत्रावली पेशा हुई। वकील वादी एवं स्वयं वारी कोर्ट उपर नहीं है। न्यायालय के कठ-कठ कर तीन बार आवाज लावाई गई। कार्यवाही स्थगित होने तक इंजामर किया गया। कोई उपर नहीं हुआ। प्रकरण कठ हाजिरी कठ परकी के खारिज किया गया है। पत्रावली फैसल सुनार होकर सम्बिलित होकर है।</p>

Reader